

संख्या : 14/3/2012-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 6 जुलाई, 2012 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) - एजेंडा अग्रेषित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव श्री एस आर राव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 6 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 10:00 बजे ईओयू योजना के लिए आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) के लिए एजेंडा मदों की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

(एस एस कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23061547
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त।

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव (एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) के पीएस / निदेशक (एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए 6 जुलाई, 2012 को पूर्वाहन 10:00 बजे आयोजित की जाने वाली
बीओए की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) के लिए एजेंडा

मद सं.	आवेदक कंपनी	अनुरोध / प्रस्ताव	प्रशासनिक मंत्रालय	क्षेत्राधिकार वाला एसईजेड
3.1(12)	वाणिज्य विभाग	13 मार्च, 2012 को आयोजित बीओए की दूसरी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि	बोर्ड के सभी सदस्य	सभी एसईजेड
आस्थगित प्रस्ताव				
3.2(12)	मैसर्स गुडरिच एयरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	विनिर्माण की मद (मदों) की ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त मदों को शामिल करना	डीजीईपी, डीजीएफटी	सीएसईजेड
नए प्रस्ताव				
3.3(12)	मैसर्स जनरल मोटर्स टेक्नीकल सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	विनिर्माण की मदों की ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त सेवा गतिविधियों को शामिल करने के लिए	डीजीईपी, डीजीएफटी	सीएसईजेड
3.4(12)	मैसर्स एसएमसी मेडिकल	(i) सेवा की गतिविधियों को शामिल करना (ii) मोल्ड एवं कंपोनेंट को शामिल करना	डीजीईपी, डीजीएफटी	सीएसईजेड
3.5(12)	मैसर्स व्हील इंडिया लिमिटेड	विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित माल के समेकन के लिए अनुमति	डीजीईपी, डीजीएफटी	एमएसईजेड
3.6(12)	मैसर्स नूट्रा स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड	12 माह की अगली अवधि के अग्रिम डीटीए बिक्री के समावेशन हेतु समय सीमा बढ़ाना	डीजीईपी, डीजीएफटी	वीएसईजेड
3.7(12)	इन्नवोल मेडिकल इंडिया लिमिटेड	बीमार यूनिट का जीर्णोद्धार – अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजना की मंजूरी	डीजीईपी, डीजीएफटी	एमएसईजेड
3.8(12)	मैसर्स हिंदुस्तान जिक लिमिटेड (वेदांता)	अपील – विद्युत ऊर्जा को उपभोज्य वस्तु के रूप में मानने के संदर्भ में स्पष्टीकरण	डीजीईपी, डीजीएफटी	एनएसईजेड
3.9(12)	मिजोरम वर्सेस बंबो प्रोडक्ट	निर्यात बाध्यता में ढील देना तथा डीटीए में उत्पादों की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करना	डीजीईपी, डीजीएफटी	एफएसईजेड
3.10(12)	मैसर्स इंडस्ट्रियल मिनरल कंपनी	कार्यालय उपकरण के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपकरण का आयात करने के लिए	डीजीईपी, डीजीएफटी	एमएसईजेड

भाग-2

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों की अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि

(क)	फरवरी और मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	सीएसईजेड
(ख)	जनवरी, फरवरी और मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एफएसईजेड
(ग)	फरवरी और मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन शून्य है	आईएसईजेड
(घ)	1 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएसईजेड
(ङ)	फरवरी से मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	जनवरी, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एनएसईजेड
(छ)	21 फरवरी, 2012 से 23 मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन शून्य है	एसईईपीजेड – एसईजेड
(ज)	मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड